Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फा.सं.सी-42/13/2011-एमपीलैड्स

Dated 19.01.2016

सेवा में,

(1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम

(2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः एमपीलैड्स के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों के लिए पट्टिकाओं का निर्माण ।

महोदय,

1. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में पट्टिकाओं का निर्माण नहीं करने या अपर्याप्त सूचना सहित निर्माण करने के संबंध में मंत्रालय में समय-समय पर अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

2. तृतीय पक्ष वास्तविक निगरानी रिपोर्टों में भी यह दर्शाया गया है कि पट्टिकाओं की अनुपस्थिति में यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि कौन सा कार्य एमपीलैड्स के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है (चूंकि जिला/फील्ड स्तर पर कई स्कीमों के अंतर्गत कार्य क्रियान्वित किए जाते हैं) ।

3. दिशानिर्देशों के पैरा 3.22 में प्रावधान है कि:

"3.22 योजना के अंतर्गत जैसे ही कार्य पूरा होता है उसे आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया जाना चाहिए । लोगों की अधिक जानकारी के लिए, एमपीलैड्स के अंतर्गत सभी कार्यों के लिए एक पट्टिका (पत्थर/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए जिस पर "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्य" खुदा होना चाहिए तथा कार्य की लागत, उसका आरंभ, समापन और उद्घाटन तिथि तथा परियोजना को प्रायोजित करने वाले संसद सदस्य का नाम दर्शाया जाना चाहिए । **पट्टिका का नमूना अनुबंध XI में दिया गया है ।**"

4. पट्टिकाओं का निर्माण नहीं किया जाना या अपर्याप्त सूचना के साथ पट्टिकाओं का निर्माण किया जाना दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा आम जनता के लिए एमपीलैड्स कार्यों की पहचान के उद्देश्य को विफल करता है ।

5. अत: दिनांक 11.09.2014 के समसंख्यक परिपत्र के अनुक्रम में यह दोहराया जाता है कि एमपीलैड्स के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वित किए जाने के पश्चात नियमित रूप से अपेक्षित पट्टिकाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिनमें दिशानिर्देशों के अनुबंध XI में दर्शायी गई सूचनाएं निहित हों ।

6. यह उल्लेखनीय है कि यदि मंत्रालय के ध्यान में यह लाया जाता है कि पट्टिकाओं का निर्माण नहीं किया गया है या पट्टिकाओं का निर्माण अपर्याप्त सूचना के साथ किया गया है तो मंत्रालय मामले को निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के लिए जवाबदेही तय किए जाने के अनुरोध सहित राज्य सरकार को भेज सकता है ।

7. यह भी अनुरोध किया जाता है कि कृपया इन निर्देशों को सभी क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों के ध्यान में लाया जाए ।

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड से संबंधित सभी नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।